

Fax No. 23236140

Phone Nos. 23235570
23235619



**INDIAN NURSING COUNCIL
COMBINED COUNCILS BUILDING
KOTLA ROAD, TEMPLE LANE
NEW DELHI - 110 002**

25 JAN 2010

Certificate No. 18-31/5881-INC

Date:-

Resolution No. 147/02/JUL/2009

In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 13 of the Indian Nursing Council Act 1947. Indian Nursing Council declares that the course conducted by the Institution mentioned below, is an approved course of study for admission to an approved examination for the said course. The number of students to be admitted is as specified below-

Name of Institution	Name of Course	Number of seats
F I COLLEGE OF NURSING, 37, CANTT ROAD, LUCKNOW, UTTAR PRADESH	B. Sc (N)	40 (FORTY)

This is valid for **2009-2010** academic year and till next inspection

Bhanu Lal
/s/ **SECRETARY**
Indian Nursing Council
New Delhi-110002



T. Dileep Kumar
(T. Dileep Kumar)
PRESIDENT
Indian Nursing Council
New Delhi-110002

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू, रोड, लखनऊ-226001 📠 : 2238846



पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अघ विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

विषय: एफ.आई. एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित एफ.आई. इंस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल साइंसेज, लखनऊ में बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 148/71-3-09-एन-35/08 दिनांक 22.01.2009 के का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत एफ.आई. एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित एफ.आई. इंस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल साइंसेज, लखनऊ को बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) निर्गत कर दिया गया है। शासनादेश की छाया प्रति संलग्न है। संस्था द्वारा उक्त शासनादेश के क्रम में उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी कार्यालय में दिनांक 23.04.2009 को शासन द्वारा निर्धारित समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि एफ.आई. एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित एफ.आई. इंस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल साइंसेज, लखनऊ को अपने स्तर से सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही कर आगामी सत्र हेतु प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें

भवदीय,

/

सचिव,

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

दिनांक :- 18/03/2010

पत्र संख्या :- 1638-39/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, एफ.आई. एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि सम्बद्धता हेतु उक्त विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित करें।

सचिव,

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी